मंगलचन्द बनाम श्रवण कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	राजस्व अपील/विविध ... [illegible] ... 21/2021
18-11-24	वकुलाय उभय पक्षकारान बहस हेतु अवसर चाहा है। न्यायहित में अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 26-12-2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
26-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27-1-25 को पेश हो। रीडर
27.01.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 03.08.2022 को जारी हो चुकी है तथा वादपत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विधिक विभाजन प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए है। मूल वादपत्र में प्रारम्भिक डिक्री जारी हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 28.03.2022 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:45:59 IST
Reason: SelfAttested